पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 ई0 (अग्रहायण 12, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–49

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	425–435	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	381–383	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	47	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011

18 नवम्बर, 2011 ई0

संख्या 2911/VII-II/146–ख/10/2011–उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध खनिजों का दोहन आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने, पर्यावरण का संरक्षण एवं खनिज क्षेत्रों की पुर्नस्थापना करने, खनिज भण्डारों का आधुनिक तकनीक द्वारा विस्तृत अनुवेक्षण का कार्य करने तथा खनिज के दोहन एवं चुगान के कार्यों में माफियाओं के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु शासनादेश संख्या 1031/औ0वि0/2001, दिनांक 30 अप्रैल, 2001 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति प्रख्यापित की गयी थी।

2. उपरोक्त नीति के पुनर्विलोकन की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए नीति का विस्तृत परीक्षण, पर्यावरण संरक्षण, राजस्व प्राप्ति, उपभोक्ताओं तथा निर्माण संस्थाओं को उपखनिजों की उचित मूल्यों पर सहज उपलब्धता तथा स्थानीय व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य को संज्ञान में रखते हुए शासनादेश संख्या 3498/औ0वि0–22–ख/2001, दिनांक 17–10–2002 द्वारा खनिज नीति, 2001 में कतिपय संशोधन किये गये।

3. वर्तमान में सरकारी कार्यदायी निगमों एवं निजी पट्टाधारकों द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 14 के अनुसार पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण न कराये जाने, निर्धारित वार्षिक अपरिहार्य भाटक न दिये जाने, निगमों द्वारा सम्पूर्ण खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य न कर औसतन लगभग 60 प्रतिशत भाग पर ही उपखनिज का चुगान/टिपान किये जाने से खनिज पट्टा क्षेत्र से खनिजों का समुचित मात्रा में दोहन नहीं हो पा रहा है तथा निगम द्वारा रिक्त छोड़े गये क्षेत्रों में अवैध खनन की संभावनाएं बनी रहती है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं तद्धीन बनायी गयी पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 (Environment Impact Assessment Notification-2006), दिनांक 14–9–2006 का भी अनुपालन पूर्णरूप से अपेक्षित है।

4. उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित करने, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण करने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, खनिजों से राजस्व में वृद्धि करने तथा अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की पूर्ति एवं मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति, 2001 एवं संशोधित नीति, 2002 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के लिये निम्नानुसार नई खनिज नीति प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. मुख्य खनिज:

मुख्य खनिजों का विकास एवं विनियमन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धाराओं एवं खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली भारत सरकार द्वारा प्रवृत्त की गई है। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग–ए एवं बी में विनिर्दिष्ट मिनरल्स अंकित है, जिसको रिकोनेइसेंस परमिट/प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टे पर स्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होता है।

मुख्य खनिजों का खनन कार्य सुनियोजित वैज्ञानिक तरीके से खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम, 22 के अन्तर्गत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाता है।

प्रदेश के अन्तर्गत सतही एवं भूगर्भ में पाये जाने वाले खनिज प्रदेश की सम्पत्ति होती है तथा सतही अधिकार प्रदेश में निहित है, इसलिये खनिज पर देय रायल्टी प्रदेश सरकार द्वारा ही वसूल की जायेगी।

मुख्य खनिजों के सुनियोजित विकास के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

(1) शासन द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया जायेगा। कार्यकारी दल द्वारा मुख्य खनिजों के खनन में अपनायी जा रही तकनीक, उनका पर्यावरण पर प्रभाव तथा खनन से सम्बन्धित प्रचलित कार्य प्रणाली को व्यवहारिक बनाने के सम्बन्ध में उपाय एवं सुझाव तैयार कराये जायेंगे। कार्यकारी दल के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को मुख्य खनिजों से सम्बन्धित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं खनिज परिहार नियमावली, 1960 के सम्बन्ध में सुझाव देने का भी होगा।

(2) मुख्य खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्र के ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिनके पास यह कार्य करने हेतु पर्याप्त पूंजी एवं आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो।

(3) मुख्य खनिजों यथा सिलिका सैण्ड, लाइम स्टोन, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन आदि के दोहन हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर खनिज उद्योग को बढ़ाया जायेगा।

2. उपखनिज :

राज्य के राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे गढ़वाल मण्डल क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊँ मण्डल क्षेत्र में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को तथा वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-1 में आवेदन करने के उपरान्त पांच वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे। निगमों के द्वारा उपखनिज के चुगान/खनन कार्य स्वयं किया जायेगा तथा किसी को सबलेट नहीं किया जायेगा। निगम खनिजों की रायल्टी पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(2) मा0 उच्चतम न्यायालय से एन0पी0वी0 मुक्त निगम/संस्था को छोड़कर शेष निगम एवं निजी पट्टाधारकों के द्वारा खनन पट्टा विलेख का निष्पादन उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 14 के अन्तर्गत कराया जाना आवश्यक होगा तथा उनके द्वारा नियम 22 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित अपरिहार्य भाटक तथा नियम 21 के प्रथम अनुसूची में निर्धारित रायल्टी का भुगतान पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार किया जायेगा। मा0 उच्चतम न्यायालय से एन0पी0वी0 मुक्त निगम/संस्था खनन चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त निदेशक द्वारा निर्गत अनुमति के पश्चात् ही उपखनिज के चुगान/खनन प्रारम्भ करेंगे।

(3) ऐसे उपखनिज क्षेत्र जिसमें निगमों के द्वारा उपखनिज का चुगान कार्य करने में असमर्थतता व्यक्त की जाती है या ऐसे क्षेत्र जिनमें उपलब्ध खनिजों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने में अक्षम पाये जाते हैं, या ऐसे क्षेत्र जो निगमों के द्वारा रिक्त छोड़ दिये जाते हैं, को नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य विपणन संघ/श्रम संविदा समितियों/कॉपरेटिव सोसाइटियों/संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को पांच वर्ष की अवधि के लिये खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे।

(4) स्वस्थित चट्टानों/नदी तल से सम्बन्धित निजी नाप भूमि में खनन पट्टे निजी व्यक्तियों/स्थानीय व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 72 के अनुसार विज्ञप्तिकरण के उपरान्त नियमानुसार खनन पट्टे पांच वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे जिसमें भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो, तो उसे खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त नीति के अधीन किसी भी व्यक्ति/संस्था को 05.00 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे तथा किसी भी व्यक्ति/संस्था को एक से अधिक पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(5) राज्य के वन भूमि को छोड़कर समस्त नदी तलों में नदी के किनारे से नदी की चौड़ाई का 15 प्रतिशत भाग छोड़ते हुए उपखनिज का चुगान का कार्य यथासंभव नदी के मध्य से किया जायेगा जिससे कि नदी के जल प्रवाह की धारा को नदी के मध्य केन्द्रीत किया जा सके। इसके अतिरिक्त पुल, सार्वजनिक स्थान आदि से अपस्ट्रीम साइड में 100 मी0 तथा डाउनस्ट्रीम में भी 100 मी0 क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हुए चुगान कार्य किया जायेगा। इसके अन्तर्गत उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपखनिज क्षेत्रों के विज्ञप्तिकरण/चिन्हींकरण हेतु गठित समिति द्वारा नदी तट सुरक्षा हेतु नदी तट से सुरक्षित दूरी के लिये निर्धारित मानक में शिथिलता प्रदान की जा सकती है। परन्तु अपरिहार्य भाटक की गणना हेतु सम्पूर्ण नदी तल की चौड़ाई को सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की जायेगी। जिससे सुरक्षित किये जाने वाले स्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी खनन पट्टाधारक की सुनिश्चित की जा सके।

(6) नदी तल से सम्बन्धित वन भूमि को छोड़कर निजी नाप भूमि (Alluivial Delluvial Soil) के खनन पट्टों को स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपखनिज का चुगान नदी के मध्य से चौड़ाई का 15 प्रतिशत दोनों किनारों से छोड़ते हुए स्वीकृत/विज्ञापित किये जाने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। ऐसे क्षेत्रों के चिन्हींकरण हेतु जनपद के जिलाधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर के मध्य उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर स्वीकृत किये जाने/प्रतिबंधित किये जाने वाली भूमि की सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को जिलाधिकारी के माध्यम से सूचित करेंगे।

(7) भवनों के बेसमेन्ट से मिट्टी की खुदाई व निजी भूमि से व्यवसायिक उपयोग के लिये मिट्टी की खुदाई व भूमिधरी/निजी नाप भूमि जो नदी तल से बाहर स्थित है, के समतलीकरण के दौरान निकलने वाले उपखनिज बालू/बोल्डर/पत्थर/मिट्टी हेतु निजी व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अन्तर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुए उक्त नियमावली के अध्याय–6 के नियमानुसार अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा-पत्र ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से जांच/मूल्यांकन आख्या प्राप्त कर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(8) मैदानी क्षेत्र यथा विकासनगर, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधमसिंहनगर, रामनगर तथा हरिद्वार को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भवन के निर्माण हेतु भवन के स्टीमेट जो क्षेत्रीय पटवारी/राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, के आधार पर 150 घन मीटर तक की निर्माण सामग्री (उपखनिज बालू/बजरी/बोल्डर) चिन्हित नदी तल से चुगान की अनुमति ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। उपयोग में आने वाले उपखनिज का परिवहन, प्रपत्र एम0एम0–11 पर किया जायेगा।

(9) ईंट बनाने की मिट्टी के खनन अनुज्ञा-पत्र, ईंट भट्टा समाधान योजना के अन्तर्गत ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक की जांच/निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(10) पर्वतीय क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान का कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जायेगा परन्तु मैदानी शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा तथा ऐसे क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान का कार्य दिन-रात किया जा सकता है।

3. जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में:

जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा जलाशय/सुरंग (Tunnel)/नहर आदि के निर्माण कार्य से निकलने वाले Muck (उपखनिज पत्थर/बोल्डर/बालू आदि) को परियोजना के निर्माण कार्य में उपयोग हेतु परियोजना के निर्माण स्टीमेट (Estimate) की जांच/निरीक्षण व मूल्यांकन ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अन्तर्गत नियम, 72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति शासन के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति के आधार पर दी जायेगी।

4. सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्ध में:

सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ) सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण स्टीमेट (Estimate) की जांच/निरीक्षण व मूल्यांकन ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अन्तर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार खनन अनुज्ञा-पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। यह प्रक्रिया राज्य के जलाशयों एवं नहरों में जमा उपखनिज की सफाई/निकासी के लिये भी अपनायी जायेगी।

5. खनन पट्टा के आवंटन की प्रक्रिया:

(1) उपखनिज क्षेत्रों के चिन्हींकरण एवं विज्ञप्तिकरण हेतु उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के पदेन सदस्य सचिव, ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक की संस्तुति आख्या के आधार पर क्षेत्रों के विज्ञप्तिकरण की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। तदोपरान्त प्राप्त आवेदन-पत्रों को जिलाधिकारी के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किये जायेंगे।

(2) खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियामवली, 1960 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत खनिज के परिवहन हेतु समस्त प्रपत्र सम्बन्धित जनपद के ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा जारी किये जायेंगे।

(3) खनिजों का परिवहन खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर सुनिश्चित किये जायेंगे।

(4) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं पर्यावरण संरक्षण नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अन्तर्गत जारी EIA नोटिफिकेशन, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अन्तर्गत राज्य में उक्त नोटिफिकेशन के प्रख्यापन की तिथि के उपरान्त स्वीकृत/नवीनीकृत/स्वीकृत किये जाने वाले ऐसे खनन पट्टों जिनका क्षेत्रफल 5.00 है0 या 5.00 है0 से अधिक है, को उक्त नोटिफिकेशन के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। EIA कराने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय नोडल विभाग होगा।

(5) समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा-पत्र धारक/भण्डारण स्वामी को निर्गत किये जाने वाले परिवहन प्रपत्रों पर खनिज की मात्रा का निर्धारण कर रायल्टी की धनराशि एवं पुस्तक मूल्य अग्रिम रूप से जमा करायी जायेगी, जिसका दायित्व सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक का होगा।

(6) निजी नाप भूमि में खनन पट्टे निजी व्यक्तियों/स्थानीय व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 72 के अनुसार विज्ञप्तिकरण के उपरान्त नियमानुसार खनन पट्टे, 05 वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो, तो उसे खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

(7) खनिज पर आधारित उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को खनन पट्टा दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

6. अवैध खनन पर अंकुश:

(1) अवैध खनन एवं अवैध परिवहन की रोक-थाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चेक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित किये जायेंगे।

(2) अवैध खननकर्ता/अवैध खनिज परिवहनकर्ता/अवैध भण्डारणकर्ता/स्वीकृत मात्रा से अधिक खनिज का भण्डारणकर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, की धारा 21 के उपनियम (1) एवं 21 के उपनियम (5) द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड की धनराशि रुपये 25,000 के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे खनिज/भण्डारित किये गये खनिज की मात्रा पर विक्रय मूल्य की धनराशि आंगणित कर वसूल किया जायेगा।

(3) राज्य में खनिजों के वैज्ञानिक रूप से दोहन कराये जाने तथा राजस्व की वृद्धि सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक खान अधिकारी तथा खनिज अन्वेषण हेतु एक भूवैज्ञानिक की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी। इन अधिकारियों के द्वारा जनपद स्तर पर स्थापित "उद्यम प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की सुगमता केन्द्र" के माध्यम से खनन उद्योग विकास से सम्बन्धित सूचना एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) खनन पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहन का पंजीकरण वाहन स्वामी के द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उद्योग निदेशालय में कराया जायेगा। पंजीकरण हेतु पृथक् से निर्धारित शुल्क भी देय होगा।

(5) खनिजों के भण्डारण के अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक की जांच/निरीक्षण आख्याओं के आधार पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के नियमानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

7. खनिज विकास निधि की स्थापनाः

खनिज विकास एवं अन्वेषण कार्यों के लिये खनिज विकास निधि की स्थापना की जायेगी। इसके लिये विगत वित्तीय वर्ष में खनिजों से प्राप्त राजस्व एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व के अन्तर का 5 प्रतिशत इस निधि में जमा किया जायेगा। यह व्यवस्था 01 अप्रैल, 2012 से लागू होगी। निधि से जिस प्रयोजन हेतु धनराशि व्यय की जायेगी उस हेतु राज्य के आय-व्ययक में मांग नहीं की जायेगी। खनिज विकास निधि हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक करोड़ रुपये की धनराशि सीड कैपिटल के रूप में प्राविधानित की जायेगी। खनिजों से प्राप्त राजस्व का पाँच प्रतिशत धनराशि खनिज अन्वेषण, पर्यवेक्षण, समीक्षा, अवैध खनन की रोक-थाम तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यों हेतु व्यय किया जायेगा। उपरोक्त पांच प्रतिशत धनराशि में से तीन प्रतिशत जिलाधिकारियों को सम्बन्धित जनपद से प्राप्त राजस्व के अनुपात में तथा शेष दो प्रतिशत धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को उपरोक्त कार्यों हेतु आवंटित की जायेगी।

8. विकास शुल्कः

जिस क्षेत्र में खनिजों के विदोहन हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे, उस क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु खनन उद्यमियों/पट्टाधारकों से सरकार द्वारा विकास शुल्क के रूप में विहित धनराशि प्राप्त कर उस क्षेत्र के विकास हेतु जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी।

9. दून वैली क्षेत्रान्तर्गत नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में चुगान को सुलभ कराये जाने हेतु दून वैली नोटिफिकेशन, दिनांक 01 फरवरी, 1989 एवं ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 के प्राविधानों से मुक्त/शिथिल कराने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अथक प्रयास किये जायेंगे।

10. समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा-पत्र धारक/खनिज भण्डारण स्वामी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

11. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजरः

(1) उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के लिए पृथक्-पृथक् स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति, 2011 प्रख्यापित की गयी हैं। उक्त नीतियों के अनुसार ही स्टोन क्रेशर के स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

(2) पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाते हुए स्टोन क्रेशर उद्योग को धनात्मक उद्योग श्रेणी में लाया जायेगा तथा मोबाइल स्टोन क्रेशर भी स्थापित किये जायेंगे।

12. खनिजों के वैज्ञानिक विधि से दोहन हेतु "क्षमता विकास कार्यक्रम" चलाया जायेगा।

13. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय का यह दायित्व होगा कि इस राज्य खनिज नीति, 2011 के प्राविधानों/उपबन्धों को धरातल पर उतारने एवं लागू किये जाने हेतु 30 जून, 2012 तक का समय निर्धारित किया जायेगा।

14. इस नीति में यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्द्धन मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के निर्देश/अनुमोदन के आधार पर किया जायेगा।

कार्यालय-ज्ञाप

18 नवम्बर, 2011 ई0

संख्या 2912/VII-II–11/68–रिट/2008–उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजरों को अनुज्ञा दिये जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम, प्रदेश के जनसाधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिये जाने एवं ऐसी इकाईयों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये निम्नवत् नीति प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

उत्तराखण्ड के "मैदानी क्षेत्र" हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराइजर अनुज्ञा नीति, 2011

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(क) इस नीति का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा नीति, 2011" है।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं–

जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो–

(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है;

(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है;

(छ) "शब्द और पद" जो परिभाषित नहीं है परन्तु सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उक्त अधिनियम दिये गये हैं;

(ज) "मैदानी क्षेत्र" से जनपद देहरादून के सहसपुर ब्लाक, डोईवाला ब्लाक एवं रायपुर ब्लाक, जनपद हरिद्वार, जनपद उधमसिंहनगर, जनपद नैनीताल के हल्द्वानी ब्लाक एवं रामनगर ब्लाक तथा जनपद चम्पावत के टनकपुर क्षेत्र अभिप्रेत है।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का स्थान चयन हेतु समिति का गठन–

(क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा स्थापित होने वाले ऐसे क्रेशर/प्लान्टों के चयनित स्थल की जांच हेतु निम्नवत् एक समिति का गठन करेगी। समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिपोर्ट समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगाः–

समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयत्र)	अध्यक्ष
प्रभागीय वनाधिकारी या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
भूवैज्ञानिक, जिला टॉस्क फोर्स कार्यालय	सदस्य
खान अधिकारी/खान निरीक्षक	सदस्य सचिव

4. स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट हेतु मानक–

क्र0 सं0	स्थान	संयंत्र से न्यूनतम दूरी (मीटर में)
1	2	3
1.	सरकारी वन	500
2.	नदी के किनारे से	500
3.	धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	500
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम	500
5.	आवासीय भवन (एक परिवार का एक मकान)	500
6.	आवासीय क्षेत्र (एक से अधिक मकान तथा एक से अधिक परिवार)	500

(क) स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्थल चयन हेतु गठित समिति द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना सम्बन्धी किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा उपरोक्त मानकों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

(ख) उक्त समिति का यदि समाधान हो जाये कि ऐसा करना आवश्यक है तथा क्रेशर का व्यवसायिक उपयोग न होने के दृष्टिगत, उन जल विद्युत परियोजनाओं, जिनके सम्बन्ध में पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (पर्यावरण प्रभाव आगणन अधिसूचना) जारी हो चुकी हो तथा जिनको वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त हो गई हो, के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना तथा अनुमति के आधार पर आवश्यकतानुसार, परियोजना परिक्षेत्र के अन्तर्गत केवल परियोजनाओं में प्रयोग हेतु स्टोन क्रेशर उत्पादों के निमित्त स्टोन क्रेशर स्थापित करने के प्रयोजनार्थ वर्णित दूरियों में शिथिलता प्रदान करने की संस्तुति कर सकेगी।

5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल एवं क्षमता–

क्र0सं0	संयंत्र	उत्पादन क्षमता	क्षेत्रफल
1.	स्टोन क्रेशर	क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक	न्यूनतम क्षेत्रफल 5.00 एकड़
		200 टन प्रतिदिन से अधिक	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1.00 एकड़ अतिरिक्त
2.	स्क्रीनिंग प्लान्ट	200 टन प्रतिदिन से तक	न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 एकड़
		200 टन प्रतिदिन से अधिक	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1 एकड़ अतिरिक्त

(क) स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्थल चयन हेतु गठित समिति द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना सम्बन्धी किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा उपरोक्त मानकों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

6. पल्वराईजर का स्थान–

(क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत तथा स्थापित होने वाले पल्वराईजर हेतु निम्नलिखित समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिपोर्ट समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगाः–

उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयत्र)	अध्यक्ष
प्रभागीय वनाधिकारी या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
भूवैज्ञानिक, जिला टॉस्क फोर्स कार्यालय	सदस्य
खान अधिकारी/खान निरीक्षक	सदस्य सचिव।

(ख) पल्वराईजर प्लांट केवल बन्द गोदाम में स्थापित होंगे।

7. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन–

(क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/प्लवराईजर में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के प्राविधानों के अधीन करना होगा। जिसके अभिलेखों एवं भण्डारणों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा किया जायेगा।

(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर में न्यूनतम 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर 13 फीट से अधिक ऊँचाई तक कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण न हो, यदि कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक [बिन्दु 6 (ग) में वर्णित] से अधिक होती है, तो उक्त भण्डारण को अवैध भण्डारण मानते हुए स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी के विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अनुसार जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

8. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी के दायित्व–

(क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट रोड साईड कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार स्थापित होना अनिवार्य है।

(ख) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) परिसर की चार दीवारी (Boundary wall) के अन्दर मध्य में स्थापित होना चाहिये।

(ग) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ कम से कम 15 फीट ऊँची चार दीवारी का निर्माण इकाई की परिधि में किया जाना होगा। न्यूनतम 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर अधिकतम 13 फीट ऊँचाई तक कच्चे माल या तैयार माल का भण्डारण किया जा सकेगा। यदि इकाई परिसर में 13 फीट से अधिक ऊँचाई के तैयार व कच्चे माल के भण्डारण की आवश्यकता है, तो चार दीवारी की ऊँचाई उक्त ऊँचाई से दो फीट प्रति एक फीट कच्चे व तैयार माल की ऊँचाई के अनुसार बढ़ाई जानी होगी। चार दीवारी की डिजाईन सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जानी होगी। जिससे की चार दीवारी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।

(घ) धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोकने की विधि (Water sprinklers) का प्रभावी उपयोग स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।

(ङ) ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु स्टोन क्रेसिंग संयंत्र को बन्द दो दीवारों वाले चैम्बर में स्थापित किया जाना होगा।

(च) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(छ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की सीमा के अन्दर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किये जाने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल के कण हवा में न उड़ सकें।

(ज) स्टोन क्रेशर इकाई/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई की चार दीवारी के अन्दर कम से कम सात से दस मीटर चौड़ी तीन कतार में चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उसको संरक्षित करना होगा तथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अथवा छः माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

(झ) धूल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियां एवं उपकरण इकाई मालिक द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर स्थापित करने होंगे। धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में अनवरत् कार्यरत् रखने की जिम्मेदारी स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी की होगी।

(ञ) कच्चे या तैयार माल भण्डार की सतह जो कि वायु प्रदूषण करती है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी के छिड़काव से गीला रखा जाना होगा, जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो।

9. ध्वनि प्रदूषण के मानक–

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी/प्रख्यापित आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

10. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण–

(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 अनुपालन हेतु स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर में धूल उत्सर्जन (SPM) नियन्त्रण एवं वर्णित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख-रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक माह में स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर के स्वामियों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ख) प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से स्टोन क्रेशर के संचालन हेतु प्रतिवर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु समय-सीमा निर्धारित कर ली जायेगी।

11. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर अनुज्ञा की स्वीकृति–

(क) इस नीति के उपरान्त प्रदेश में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर अनुज्ञा हेतु पंजीकरण कराने से पूर्व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शुल्क रु0 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) उत्पादन क्षमता 200 टन प्रतिदिन एवं उसके ऊपर प्रति 100 टन अथवा भाग पर रु0 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) के अतिरिक्त शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करा कर आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर क्षेत्र का राजस्व मानचित्र एवं साईट प्लान जिसमें प्रस्तावित संयंत्र का ब्यौरा अंकित हो, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को जमा किया जायेगा।

(ख) निदेशक/खनन प्रशासन में वरिष्ठतम अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा पंजीकरण के उपरान्त तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड से संयंत्र चालू करने की अनुमति के उपरान्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इण्टरप्राईजेज एक्ट (MSME) के अधीन जिला उद्योग केन्द्र में रिटर्न दाखिल करना होगा।

(ग) वर्तमान में चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर भी उक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(घ) पूर्व से चल रहे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर को नये स्थान पर इस नीति के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष में स्थानान्तरित करना होगा। उक्त अवधि के अन्दर यदि वे उक्त इकाईयों को स्थानान्तरित नहीं करते हैं तो इनकी अनुज्ञा का नवीनीकरण अग्रेत्तर नहीं किया जायेगा। नीति के प्रख्यापन की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर भी नई इकाईयों के लिए न तो ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा की स्वीकृति दी जायेगी और न ही पुरानी अनुज्ञा की अवधि में विस्तार किया जायेगा। पुरानी इकाईयों के लिये कच्चा माल/तैयार माल के भण्डारण एवं परिवहन, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के लिये भण्डारण की अनुज्ञा भी उक्तवत् अवधि तक ही दी जायेगी। इस अवधि में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Consent to operate की अनापत्ति निर्धारित मानकों के पूर्ण होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

(ङ) प्रस्तर–3(क) एवं 6(क) के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की गठित समिति स्थापित होने वाले एवं चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट के नवीनीकरण हेतु सदस्य सचिव के माध्यम से समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिपोर्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन स्तर से अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिये अनुज्ञा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

(च) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट की अनुज्ञा का नवीनीकरण पाँच वर्ष की समय सीमा के पश्चात् किया जायेगा।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/614–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 ई0 (अग्रहायण 12, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November 02, 2011

No. 222/UHC/Admin. A/2011--Sri Yogesh Kumar Gupta, Addl. District & Sessions Judge/3rd F.T.C., Dehradun is posted as Addl. District & Sessions Judge/2nd F.T.C., Dehradun, in the vacant Court.

No. 223/UHC/Admin. A/2011--Sri Sahdev Singh, Addl. District & Sessions Judge/4th F.T.C., Dehradun is posted as Addl. District & Sessions Judge/3rd F.T.C., Dehradun, *vice* Sri Yogesh Kumar Gupta.

No. 224/UHC/Admin. A/2011--Sri Vijayant Kumar, Addl. District & Sessions Judge/5th F.T.C., Dehradun is posted as Addl. District & Sessions Judge/4th F.T.C., Dehradun *vice* Sri Sahdev Singh.

No. 225/UHC/Admin. A/2011--Sri Harish Kumar Goel, 6th Addl. District & Sessions Judge, Hardwar is posted as 5th Addl. District & Sessions Judge, Hardwar, in the vacant Court.

No. 226/UHC/Admin. A/2011--Sri Dhananjay Chaturvedi, Additional Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital is transferred and posted as 6th Addl. District & Sessions Judge, Hardwar *vice* Sri Harish Kumar Goel.

No. 227/UHC/Admin. A/2011--Sri Srikant Pandey, Addl. District & Sessions Judge/1st F.T.C., Roorkee, Distt. Hardwar is transferred and posted as Addl. District & Sessions Judge/1st F.T.C., Hardwar, in the vacant Court.

No. 228/UHC/Admin. A/2011--Ms. Kahkasha Khan, Addl. District & Sessions Judge/1st F.T.C., Udham Singh Nagar is posted as 3rd Addl. District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

No. 229/UHC/Admin. A/2011--Sri Shamsher Ali, Addl. District & Sessions Judge/2nd F.T.C., Udham Singh Nagar is posted as Addl. District & Sessions Judge/1st F.T.C., Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Kahkasha Khan.

No. 230/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Sri Ajay Chaudhary, Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge/F.T.C., Almora, in the vacant Court.

No. 231/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Sri Subir Kumar, Chief Judicial Magistrate, Tehri Garhwal, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge/1st F.T.C., Roorkee, Distt. Hardwar, *vice* Sri Srikant Pandey.

No. 232/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Ms. Neetu Joshi, Civil Judge (Sr. Div.), Champawat, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge, Vikasnagar, Distt. Dehradun, in the vacant Court.

No. 233/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Sri Bindhyachal Singh, Chief Judicial Magistrate, Almora, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge, Khatima, Distt. Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

No. 234/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Smt. Rama Pandey, Chief Judicial Magistrate, Chamoli, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge, Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal, in the vacant Court.

No. 235/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Sri Pankaj Tomar, direct recruit from the Bar to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge/5th F.T.C., Dehradun, *vice* Sri Vijayant Kumar.

No. 236/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Sri Sushil Tomar, direct recruit from the Bar to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge/6th F.T.C., Dehradun, *vice* Sri Kishore Kumar.

No. 237/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Sri Manish Mishra, Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge, Tehri Garhwal, in the vacant Court.

No. 238/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Smt. Neena Aggarwal, Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge/2nd F.T.C., Udham Singh Nagar, *vice* Sri Shamsher Ali.

No. 239/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Sri Brijendra Singh, Chief Judicial Magistrate, Champawat, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge/3rd F.T.C., Nainital, in the vacant Court.

No. 240/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Sri Kanwar Amninder Singh, Chief Judicial Magistrate, Dehradun, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Additional Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, *vice* Sri Dhananjay Chaturvedi.

No. 241/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Sri Bharat Bhushan Pandey, Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge/F.T.C., Pauri Garhwal, in the vacant Court.

No. 242/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to Government Notification no. 1382/XXX-1-2008-26(1)/2004, dated October 13, 2011, Sri Arvind Kumar, Civil Judge (Sr. Div.), Almora, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge/3rd F.T.C., Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

No. 243/UHC/Admin. A/2011--Sri Kishore Kumar (re-appointee), Addl. District & Sessions Judge/6th F.T.C., Dehradun is posted as Addl. District & Sessions Judge/7th F.T.C., Dehradun, in the vacant Court.

By Order of the Court,

Sd/-
K. D. BHATT,
Registrar General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/614–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 ई0 (अग्रहायण 12, 1933 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैं, दीपक पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी डबल फाटक, लक्ष्मी नगर, मोहनपुरा, मोहम्मदपुर, डा0 मिलाप नगर, रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड ने अपना एवं अपने पिता का नाम परिवर्तन कर दीपक प्रजापति पुत्र श्री चतरपाल कर लिया है। भविष्य में मुझे दीपक प्रजापति पुत्र श्री चतरपाल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जायेगा।

पूर्ण औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

दीपक प्रजापति
पुत्र श्री चतरपाल,
डबल फाटक, लक्ष्मी नगर,
मोहनपुरा–मोहम्मदपुर, डा0 मिलाप नगर,
तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार।

INFORMATION

I, Nitin Jain S/o Mr. Surendra Singh Jain, R/o B-306, Aditya Doonshire, Sailok Phase-II, G.M.S. Road, Indira Nagar, Dehradun have changed my name from Nitin Jain to Kunal Singh for all future purposes.

All the formalities and requirements have been completed and dealth with.

Dated : 23/11/2011

KUNAL SINGH,
S/o Mr. Surendra Singh Jain,
R/o B-306, Aditya Doonshire,
Sailok Phase-II, G.M.S. Road,
Indira Nagar, Dehradun.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/614–भाग 8–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।